FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं. 199 / 2021 अन्तर्गत धारा **212 RT ACt**

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ **बनाम कर्णसिंह पुत्र जोरावर सिंह राजपूत व अन्य शेष जमाबंदी**

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.21	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात भूमि हाल खसरा नम्बर 668/248 किता 1 कुल रकबा 0.0970 है0, वाके ग्राम पिलोद को **किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, बेचान या हस्तांतरण नही करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड** की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। न्यायालय आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह विपरित पक्षकार को आदेश की प्रति सुपुर्दगी स्पीड पोस्ट (SPEED POST) द्वारा करें, तथा व्यादेश के आवेदन की प्रति के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वाद पत्र, व दस्तावेज़ जिंन पर आवेदक भरोसा करता है इनकी प्रति भी भेजे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनाक 01.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	

1/10/21

पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। सरकारी पैरोकार ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद संघ द्वारा कार्य बहिस्कार होने के कारण व्यक्तिशः तामील करवाया जाना सम्भव नहीं हैं इसलिए तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड तथा नगरपालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामील पत्रावली किया गया । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिए जाते है कि उक्त समस्त नोटिस बोर्डों पर नोटिस चस्पा किये जाये तथा चस्पानगी की रिपोर्ट तारीख पेशी में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 28/10 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

28/10/21

पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। सरकारी पैरोकार नेतहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड तथा नगरपालिका नोटिस बोर्ड पर तामील नोटिस चस्पानगी की रिपोर्ट पेश की जो शामील पत्रावली की गई। तामील पर्याप्त है परन्तु नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय में अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/11/21 ..... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

26/11/21

पत्रावली पेश हुवी। PO हाजर प्रार्थी [illegible] के का अधिवक्ता 2021 में व्यस्त है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 02-12-21 को पेश हो।

02/12/21

पत्रावली पेश हुई । प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण का जवाब [illegible] । नैसर्गिक न्याय में अन्तिम अवसर दिया जाता है । पत्रावली वास्ते जवाब दि. 10-12-21 को पेश हो ।

10/12/21

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से श्री प्रमोद पूनिया एड० ने वकालतनामा पेश किया जो शामील पत्रावली किया गया कृषि भूमि का संपरिवर्तन होने के कारण दावा खारीज किया जा चुका है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा चलाये जाने

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राज्य सरकार बनाम कर्णसिंह वगैरह

दफा 212 नं. 199 सन 2021

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	